संख्या- 21/2016 /एस-3-387/दस-2016-100(43)/89

प्रेषक,

राज रतन,
उपसचिव,
उ0प्र0शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0
24/3, इन्दिरानगर, लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 14 सितम्बर ,2016

विषयः- वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ के नव नियुक्त संकाय अधिकारी को प्रशिक्षण भत्ता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या अधि0/21/88/734 दिनांक 22-08-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-24/8/76-का-प्रसको/2014, दिनांक 20-11-2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ में तैनात श्री अखिलेश चन्द्र मौर्य, सहायक निदेशक को संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात दिनांक 07-12-2015 से उनके मूल वेतन का 15 प्रतिशत प्रशिक्षण भत्ता इस शर्त के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उक्त प्रशिक्षण भत्ता अनुमन्य होने के दिनांक से उपरोक्त अधिकारी को पहले से अनुमन्य विशेष वेतन, संकाय भत्ता, प्रतिनियुक्ति वेतन तथा अन्य भत्ते आदि देय नही होगें । यदि पूर्व में इस प्रकार का कोई भुगतान किया गया हो तो उसका समायोजन कर लिया जायेगा ।

2- उपरोक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-63 के "लेखा शीर्षक-2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-आयोजनेत्तर-003-प्रशिक्षण-03-वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान-06-अन्य भत्ते" के नाम डाला जायेगा।

भवदीय,

[redacted]

(राज रतन)
उपसचिव।

संख्या- 21/2016/एस-3-387(1)/दस-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार लेखा (आडिट-1) उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- वित्त (सामान्य) अनुभाग-2/वित्त (सेवायें) अनुभाग-2
4- निदेशक,कोषागार, उ0 प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- निदेशक, मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- कार्मिक विभाग-प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ, उ0प्र0, सचिवालय ।
8- संबंधित अधिकारी ।
9- अनुभागीय गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(राज रतन)
उपसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।